फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

मदनलाल बनाम अर्जुन लाल वगैरा

मुकदमा नम्बर :– 20 /2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	21/8/24	वकिलों द्वारा [illegible] स/कार्य स्थगित [illegible] वली गत आज्ञानुसार [illegible] 28/8/24 को पेश हो।
	28/8/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 27/9/24 को पेश हो।
	27/9/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 4/10/24 को पेश हो।
	4/10/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 21/10/24 को पेश हो।
	21/10/24	प. कार्य्य उपर। तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेणा प्राप्त हुये। को शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान के तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेणा के आधार पर वादी का वाद अनुसार डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर की गई है। अतः वादी का वाद सहमति के आधार पर अनुसार डिक्री [illegible] किया जाकर शामिल पत्रावली किया [illegible] है। पत्रावली [illegible] फैसल शुमार होकर [illegible] तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर
पीठासीन अधिकारी
मुकदमा नं0:–20 / 2024
मदनलाल पुत्र छीगन, उम्र ......
चौमूं, जिला जयपुर।
1. अर्जुनलाल पुत्र छीगन
2. अशोक पुत्र भैरुराम
3. बिदामी देवी पत्नी
4. मालीराम पुत्र छी
समस्त जाति मी
5. राजस्थान स
जिला जयपु
6. राजस्थान
चौमूं, जि
7. शंकर
म्हार

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0) चौमूँ, जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0ः–20 / 2024

उनवान

मदनलाल पुत्र छीगन, उम्र .... वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम नांगलभरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र छीगन
2. अशोक पुत्र भैरुराम
3. बिदामी देवी पत्नी छीगन
4. मालीराम पुत्र छीगन
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम नांगलभरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा नांगलभरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. शंकरलाल मीणा पुत्र कल्याणसहाय, जाति मीणा, निवासी मीणों का मोहल्ला ग्राम म्हारखुर्द, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक :–21.10.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांकित 07.08.2024 के अनुसार वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 07.08.2024 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नांगलभरड़ा, पटवार हल्का नांगलभरड़ा, भू अभि0 नि0 क्षेत्र नांगलभरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के [illegible] 361 के खसरा नं0 1857 रकबा 1.19 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 1.19 है0 [illegible] का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0—20/2024
उनवान—मदनलाल बनाम अर्जुनलाल वगै0
निर्णय दिनांकः—21.10.2024

1. मदनलाल पुत्र छीगन हिस्सा पूर्ण, जाति मीणा, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1857/3 रकबा 0.0450 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0450 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. शंकरलाल मीणा पुत्र कल्याणसहाय हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 मीणों का मोहल्ला ग्राम म्हारखुर्द तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1857/2 रकबा 0.2500 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. अर्जुनलाल पुत्र छीगन हिस्सा 59/179 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, अशोक पुत्र भैरुराम हिस्सा 1/179 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, बिदामी देवी पत्नी छीगन हिस्सा 59/179 जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 59/179 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा नांगलभरड़ा, मालीराम पुत्र छीगनलाल हिस्सा 60/179 जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 59/179 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा नांगलभरड़ा के हिस्से में खसरा नम्बर 1857/1 रकबा 0.8950 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.8950 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(फा0ट्रै0/मु0)
चौमूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन (R.A.S.)

उनवान

मदनलाल पुत्र छीगन, उम्र .... वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम नांगलभरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र छीगन
2. अशोक पुत्र भैरुराम
3. बिदामी देवी पत्नी छीगन
4. मालीराम पुत्र छीगन
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम नांगलभरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा नांगलभरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. शंकरलाल मीणा पुत्र कल्याणसहाय, जाति मीणा, निवासी मीणों का मोहल्ला ग्राम म्हारखुर्द, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मुकदमा नम्बर :–20/2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादी मिनजामिन मुददई रूबरू कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

विवादित भूमि वाके ग्राम नांगलभरड़ा, पटवार हल्का नांगलभरड़ा, भू अभि0 नि0 क्षेत्र नांगलभरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 361 के खसरा नं0 1857 रकबा 1.19 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 07.08.2024 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:07 IST
Reason: SelfAttested

1. मदनलाल पुत्र छीगन हिस्सा पूर्ण, जाति मीणा [illegible] खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1857/3 रकबा 0.0450 है0, कुल कित[illegible] का [illegible] रकबा 0.0450 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. शंकरलाल मीणा पुत्र कल्याणसहाय हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 मीणों का मोहल्ला ग्राम म्हारखुर्द तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर [illegible]दार के हिस्से में खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

1857/2 रकबा 0.2500 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

3. अर्जुनलाल पुत्र छीगन हिस्सा 59/179 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, अशोक पुत्र भैरुराम हिस्सा 1/179 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, विदामी देवी पत्नी छीगन हिस्सा 59/179 जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 59/179 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा नांगलभरड़ा, मालीराम पुत्र छीगनलाल हिस्सा 60/179 जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 59/179 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा नांगलभरड़ा के हिस्से में खसरा नम्बर 1857/1 रकबा 0.8950 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.8950 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 21.10.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा........

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	6	जोड़	2

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner